परिशिष्ट [8/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 149]

दूरभाष : 222345 (कार्या.)
222001(निवास)
फैक्स : (07812) 222029
ई-मेल : dmdamoh@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दमोह (म.प्र.)

क्रमांक/ग्रा.या.से./2019/249 दमोह, दिनांक : 11 दिसंबर 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः— जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 26.06.2019 मे पारित निर्णय के पालन मे निर्माण कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराए जाने बावत् ।

विषयांतर्गत लेख है कि डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व कृषि मंत्री व पूर्व सांसद द्वारा पत्र दिनांक 02.11.19 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम भैसा (तहसील हटा) लगभग 5 हजार की आबादी वाला ग्राम है, जो कि व्यारमा नदी के किनारे बसा हुआ है । व्यारमा नदी का पानी गर्मियों में सूख जाता है जिससे आसपास के 10—12 गाँवो में पेयजल तथा पशुओ को पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है एवं भू—जल स्तर नीचे पहुँच जाता है । इस हेतु मंजीत घाट पर पानी रोक कर पट्टी एवं स्टाप डेम बनाए जाने से क्षेत्र के करीब 15 ग्राम लाभान्वित होगें एवं 10 किलोमीटर क्षेत्र में सिचाई सुविधाओ के विस्तार के साथ—साथ पेयजल में वृद्वि होगी। (पत्र की छाया प्रति संलग्न)

दिनांक 26.06.2019 को आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में उक्त संबध मे प्रस्ताव पारित किया गया है कि स्टापडेम स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

तदनुसार उक्त प्रस्तावित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राक्कलन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाऐं दमोह से प्राप्त किया गया है । उक्त कार्य पर राशि रू. 127.64 लाख व्यय होना प्रस्तावित किया गया है । (सलग्न क. 2)

अतएव अनुरोध है कि व्यारमा नदी पर ग्राम भैसा, तहसील हटा में मंजीत घाट पर सिंचाई सुविधाओं के विस्तार एवं पेयजल में वृद्वि हेतु चेक डेम निर्मित कराये जाने हेतु राशि रू. 127.64 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति/बजट आवंटन उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें ।

(तरुण राठी)
कलेक्टर, दमोह

क्रमांक/ग्रा.या.से./2019/250 दमोह, दिनांक : 11 दिसंबर 2019

प्रतिलिपि :—

✓डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद, साकिन ग्राम हिनोता, तहसील हटा, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर,
दमोह

सहायक यंत्री (तक.)